

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / अका0 / पाठ्यक्रम / 2022 /

दिनांक :

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा उर्दू अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त
28(2)दो	1. डॉ० वसीम इफतेखार अन्सारी (सहा० प्रा०) शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वा०।
28(2)तीन	1. रिक्त
28(2)चार	1. रिक्त
28(2)पाँच	1. डॉ० कमरुज्जमा सिद्दीक (सहा० प्राध्यापक) शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वा०।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा डॉ० वसीम इफतेखार अन्सारी (सहा० प्राध्यापक) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उर्दू अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव (गोपनीय / अकादमी / परीक्षा), जी०वि०वि०, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, / शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


उप-कुलसचिव (अकादमी)